राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 721 व 722 2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान–मेसर्स ए.बी.बी. इण्डिया लि., सी–116, अलकनन्दा द्वितीय तल, विधानसभा के पीछे, लालकोठी, जयपुर बनाम् वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–द्वितीय, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 01.05.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमें वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अधिनियम की धारा 24(6) व 10 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 व अधिनियम की धारा 25, 55, 61, 64 व 55 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष **2007–08 व 2011–12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2014 व 31.03.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से ₹2,86,77,393/– व ₹17,24,77,850/– के विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, क्रमशः ₹1,00,00,000/– व **₹4,72,19,800/–** की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एम.एल.पाटौदी व श्री ईशु जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा बहस हेतु दिनांक **07.05.2014** को उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरण के संबंध में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा **अपील संख्या–1714/13/झालावाड़ निर्णय दिनांक 30.10.2013** में समान बिन्दुओं पर रोक आदेश पारित किया गया है। लिहाजा, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार कर, बकाया मांग राशि **₹1,00,00,000/– व ₹4,72,19,800/–** की वसूली पर आगामी सुनवायी तिथि तक इस शर्त के साथ लगायी जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । निर्णय सुनाया गया । **(मदन लाल)** **सदस्य** **(सुनील शर्मा)** **सदस्य**	